24/11/25

आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित नहीं। वादी स्वयं वादी उपस्थित।

बार-बार बुलाने पर भी उसके वकील की कोई उपस्थिति नहीं। इस कारण 0.5 बजे तक बुलाने पर भी उसके बाद भी वकील वादी का स्वयं वादी पर इतना कोई विश्वास देखकर उपस्थित नहीं। अतः इसलिए वादी का वाद बिना साक्ष्य के खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर अभिलेखागार में रखा जाय। एक नकल उपरोक्त पत्रावली के साथ दी। फैसला मेरे द्वारा लिखाया जाय।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

जारी किया प्रतिलिपि लिपिक, जिला कलक्टर
.....जिला कलक्टर
दिनांक .....

24/11/21

इस पत्रावली के सभी पक्षकार उपस्थित नहीं था। पक्ष उपस्थित। आज इस प्रकरण को संचिका में रखा गया। अतः हाजरी व अंतरिम पेशी में रखा जिस कारण इस प्रकरण पर 212 RTA का कार्य होना था। नहीं रहा। इसलिए प्रकरण 212 RTA की अंतरिम पेशी व अंतरिम पेशी में रखा जाता है। पत्रावली फिलहाल कुमाऊं होने के कारण है। अतः नवम्बर माह में इस बाद रखें।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डमर (खैरथल-तिजारा)